(2009) 4 एस.सी.आर. 190

रामेश्वर दास

बनाम

पंजाब राज्य

(सिविल अपील संख्या 3024/2019) मार्च 14, 2019

अभय मनोहर सप्रे तथा

दिनेश माहेश्वरी जेजे

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 – सी.ए./ एसएलपी (सी) संख्या 5513/14 में प्रतिवादी–
राज्य ने लगभग 14.49 एकड़ (9 गांवों में स्थित) कुल भूमि का अधिग्रहण सतलुज–यमुना नहर के निर्माण के लिए किया अपीलकर्ता
प्रश्नगत भूमि ग्राम भागी माजरा में स्थित भूमि का स्वामी है–
भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) ने मुआवजा निर्धारित किया–
भूस्वामी अपीलकर्ता ने सिविल कोर्ट से संदर्भ की मांग की सिविल कोर्ट द्वारा
भूमि की दरों में वृद्धि की अपीलार्थी सहित भूस्वामियों ने अपील दायर की –उच्च न्यायालय ने अपने फैसले हरि सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के दृष्टिगत मुआवजा बढा दिया– इन सी०ए० @ एसएलपी (सी)
क्रमांक 17144/14 सी.ए./ एसएलपी (सी) क्रमांक 8073/14. सी.ए.. / एसएलपी (सी) क्रमांक 29928/

14 सी०ए० एसएलपी (सी) क्रमांक 8093/14 द्वारा भी उच्च न्यायालय द्वारा हरिसिंह के मामले में अपने फैसले के दृष्टिगत अपीलों का निस्तारण किया गया। सी०ए० @ एसएलपी (सी) संख्या 6261/14, दायर अपील में उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए खारिज कर दिया अन्य बातों के साथ–साथ मुआवजा बढ़ाने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया माना सी०ए० @ एसएलपी (सी) क्रमांक 5513/14 में, मुख्य आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य भू स्वामी हरिसिंह द्वारा दायर मुख्य अपील में पारित किया गया था हरि सिंह का मामला भी उसी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ जिसमें से अपील का वर्तमान समूह उत्पन्न होता है–हरि सिंह के मामले में, उच्च न्यायालय ने 9 गांवों में से प्रत्येक में स्थित अर्जित भूमि की बाजार दर का निर्धारण की विस्तृत जांच की, अधिग्रहित भूमि की गुणवत्ता, स्थान और चण्डीगढ़ से दूरी को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद प्रत्येक गाँव में स्थित जमीनों की दरें उचित कटौती / वृद्धि देने के बाद जैसा भी मामला हो, तय की गई उच्च न्यायालयों के दृ ष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है – उच्च न्यायालय द्वारा भागो माजरा गाँव सहित प्रत्येक 9 गाँव में स्थित भूमियों के लिए उचित दरें निर्धारित की पुनः मुआवजा बढाने का कोई आधार नहीं है– सी०ए० @ एसएलपी (सी) में पारित आदेश के आलोक में
190 रामेश्वर दास बनाम दि पंजाब राज्य ।

क्रमांक 5513/14. सी.ए./ एसएलपी (सी) क्रमांक 17144/14, सी.ए./ एसएलपी (सी)) क्रमांक 8073/14, सी०ए० @ एसएलपी (सी) 29928/14 और सी०ए० @ एसएलपी (सी) 8098/14 को बर्खास्त किया जाता है–सी०ए० एसएलपी (सी) 6261/14 में, अपीलकर्ता हरि सिंह के मामले के समान राहत का हकदार है, लेकिन इसके लिए अवधि 13.01.2009–01.08.2013 के ब्याज के लिए हकदार नहीं है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए
माना सी०ए० @ एसएलपी (सी) संख्या 5513/14 में

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य आदेश एक अन्य भूस्वामी हरि सिंह द्वारा दायर मुख्य अपील में पारित किया गया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भूस्वामियों द्वारा दायर अन्य कई अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया और भूस्वामियों को उनकी 9 अलग–2 गाँवों में स्थित भूमि के संबंध में देय मुआवजे में वृद्धि की और परिणामस्वरूप संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया। हरि सिंह का मामला भी उसी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें से वर्तमान अपीलों का समूह उत्पन्न हुआ है। हरि सिंह द्वारा दायर अपील को 9 गांवों में स्थित भूमि की बाजार दर निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य अपील के रूप में माना गया था। सामान्य निर्णय से उच्च न्यायालय ने भूस्वामियों की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, मुआवजे की दर बढ़ा दी और परिणामस्वरूप राज्य की अपीलें खारिज कर दी। हरि सिंह के मामले में उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में 9 गांवों में स्थित अधिग्रहित भूमि की गुणवत्ता, स्थान और दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव (कुल 9) में स्थित अधिग्रहित भूमि की बाजार दर के निर्धारण के मुद्दे की जांच की। (पैरा 14–16), (195–डी–एफ).

12 उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा, जैसे कि प्रत्येक गांव का स्थान, चंडीगढ़ शहर से दूरी और उसकी गुणवत्ता, जैसा कि एलएओ द्वारा किया गया था और फिर उचित कटौती / वृद्धि, जैसा भी मामला हो, जो उपरोक्त कारको के आधार पर 10%, 20% और 25% से भिन्न हो सकती है के बाद प्रत्येक गाँव में स्थित भूमि की दरें तय की गई साइट मानचित्र के अवलोकन पर उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है– यह उचित और निष्पक्ष फैसला है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–उच्च न्यायालय ने भागों माजरा गांव सहित सभी 9 गांवों में स्थित भूमि के स्थान और संभावनाओं को हर प्रकार से ध्यान में रखते हुए उचित दरें तय की अपीलकर्ता की तरह, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019), 4 एस. सी. आर.
अन्य सभी भू–मालिकों जिनकी भूमि गांव भागो माजरा में स्थित है, को भी तीन श्रेणियों की भूमि की गुणवत्ता के आधार पर एक समान दर पर मुआवजा मिला है। उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे की दर में जो वृद्धि की गई है, उससे आगे वृद्धि के लिए कोई उचित आधार नहीं मिला। (पैरा 14–16, 18, 19, 21–23).. (196–एफ एच 197– बी. सी. एफ.
सी०ए० @ एसएलपी (सी) 17144/2014 सी०ए० @ एसएलपी (सी) क्रमांक 8073 / 2014 सी०ए०एसएलपी (सी) सं० 29928/2014 और सी०ए० @ एसएलपी (सी) 8098/2014
1.3 सी0ए0 एसएलपी (सी) 5513/ 2014 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये अपीले भी खारिज की जाती है। पैरा 3.
सी०ए० एसएलपी (सी) क्रमांक 6261 ऑफ 2014

14 हरि सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के मद्देनजर जिसको पुष्ट किया गया और भागो माजरा गांव के सभी भू–स्वामियों को कमोवेश समान दरों पर मुआवजा स्वीकृ त कर दिया गया है. यह अपीलकर्ता समान राहत

का हकदार है। अतः दिनांक 20.11.2013 के आदेश रिकॉल आवेदन को खारिज करने तथा आरएफए में दिनांक 01.08.2013 के आदेश को भी रद्द किया गया है। यह अपीलकर्ता भी हरि सिंह और अन्य के मामले में दी गई उसी राहत का हकदार माना गया। लेकिन वह 13.01. 2009 से 01.08.2013 की अवधि के लिए किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा। पैरा 3,

हरि सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ।

निर्णय दि. 01.07.2013 पंजाब एवं हरियाणा उच्च यायालय आरएफए संख्या 953 / 1994 में संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2019 की सिविल अपील संख्या 3024

आरएफए नंबर 1943/1996 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2013 से ।

साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 3028 3026, 3029, 3027, 3025

रोहित शर्मा, अंशुल चौधरी, अतुल अग्रवाल, रौनक नायक, ओ०पी० भदानी अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहुन सलाहकार प्रतिवादी के लिए।। रामेश्वर दास बनाम पंजाब राज्य

न्यायालय का फैसला सुनाया गया।
अभय मनोहर सप्रे, जे.

सी०ए० @ एसएलपी (सी) संख्या 5513 / 2014 में

1. अनुमति स्वीकृत

2. यह अपील आर. एफ. ए. 1996/1943 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2013 के विरुद्ध दायर की गई है।

3. इस अपील में शामिल मुद्दों की विवेचना करने के लिए, यहां नीचे तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। कुछ प्रासंगिक

4. अपीलकर्ता प्रश्नाधीन भूमि का जमींदार है जबकि प्रतिवादी पंजाब राज्य है। यह अपील अन्य संबंधित अपीलों के साथ, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में अधिग्रहित अपीलकर्ता की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मुआवजे के निर्धारण से उत्पन्न होती है।

5. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (बाद में इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य (यहां प्रतिवादी) ने सार्वजनकि उद्देश्य अर्थात सतलज यमुना नहर के निमार्ण के. निष्पादन के लिए 29.03.1988 को लगभग कुल 14.49 एकड़ का अधिग्रहण किया। इसके बाद दिनांक 03.05.1988 को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणापत्र का प्रकाशन हुआ था।

6. अधग्रहीत भूमि (14.49 एकड) 9 गांवों में स्थित है, अर्थात (1) जडपुर, तहसीर खरड जिला रोपड (2) धरक खुद तहसील खरड जिला रोपड (3) पमीर तहसील सरहिद जिला पटियाला (4) मजात तहसील खरड़ जिला रोपड (5) मअरा तहसील खरड जिला रोपड़ (6) भागो माजरा तहसील खरड जिला रूपनगर (7) सियामपुर तहसील खरड जिला रूपनगर (8) मटौर तहसील मोहाली जिला खरड और (9) मानक माजरा तहसील खरड जिला रोपड़ जहाँ तक अपीलकर्ता की भूमि का प्रश्न है, वह गाँव भागो माजरा में स्थित है।

7. भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) ने अधिनियम की धारा 11 के तहत उपरोक्त 9 गांवों के भूमि मालिकों को देय मुआवजे के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू की। जहां तक भागो माजरा गाव का सवाल है. एलएओ ने अपने निणर्य दिनांक 21.08. 1990 द्वारा भूमि के दावे के संबंध में भूस्वामियों को देय को नुसार निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2019. 4 एस.सी.आर. क्र.स. भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दी गई भूमि की श्रेणी प्रति एकड दर 1.230

8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता सहित भूस्वामियों ने एलएओ द्वारा किए गए प्रस्ताव से व्यथित महसूस किया. अधिग्रहित भूमि के संबंध 1 में मुआवजे की दर के पुनः निर्धारण के लिए सिविल कोर्ट का संदर्भ मांगा। अपीलकर्ता की भूमि के संबंध में, सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.04. 1996 द्वारा मुआवजे को फिर से निर्धारित किया और भूमि की दरों को निम्नानुसार बढ़ाया क्र.सं. संदर्भ न्यायालय द्वारा भूमि की श्रेणी प्रति एकड़ दी गई दर 1, 2,3
9. यहां अपीलकर्ता सहित भूस्वामियों ने संदर्भ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से • व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

10. जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को सुनने के बाद आरएफए संख्या 953 / 1994 हरि सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य निर्णीत दिनांकित 01.0720213 में दिए गए निर्णय के आलोक में भूमि मालिक (यहाँ अपीलकर्ता) के पक्ष में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और मुआवजे की दर को बढ़ा दिया गया जैसा कि हरि सिंह (सुप्रा) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। आक्षेपित आदेश इस प्रकार है– अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत निष्पक्षता से प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में किया गया दावा पूरी तरह से रामेश्वर दास बनाम पंजाब राज्य में व्याखित किया गया है।

(अभय मनोहर सप्रे, जे.)

1994 के आरएफए संख्या 953 हरि सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय दिनाक 01.07.2013 को पारित किया गया।

हरि सिंह के मामले (सुप्रा) में दर्ज कारणों के आधार पर वर्तमान अपील का निस्तारण उन्हीं शर्तों पर किया जाता है।

11. इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता (जमींदार) ने व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

12. तो, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा हरि सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में पारित अपने पहले आदेश दिनांक 01.07.2013 के आलोक में अपील को आशिक रूप से स्वीकार करना उचित था और अन्य संबंधित अपीलें (सुप्रा) या दूसरे शब्दों में, क्या अपीलकर्ता (जमींदार) उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की दर में वृद्धि का दावा करने का हकदार है।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।

14. ऊपर उद्धृत आदेश के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि मुख्य आदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य भूस्वामी हरि सिंह द्वारा दायर मुख्य अपील में पारित किया गया था. जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भूस्वामियों द्वारा दायर अन्य कई अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया था और 9 अलग–अलग गांवों में स्थित उनकी भूमि के संबंध में भूस्वामियों को देय मुआवजे को बढ़ा दिया और इसके परिणामस्वरूप, रेफरेंस न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

15. दूसरे शब्दों में, हरि सिंह का मामला (सुप्रा) भी उसी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें से अपील का वर्तमान समूह उत्पन्न हुआ है। हरि सिंह द्वारा दायर अपील को 9 गांवों में स्थित भूमि की बाजार दर निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य अपील के रूप में माना गया था। दिनांक 01.07.2013 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने भूस्वामियों की अपीलों को आशिक रूप से स्वीकार कर लिया, मुआवजे की दर बढ़ा दी और परिणामस्वरूप राज्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

16. हरि सिंह के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय ने प्रत्येक गांव (कुल 9) में स्थित अधिग्रहित भूमि की गुणवत्ता, स्थान और दूरी को ध्यान में रखते हुए चण्डीगढ में स्थित 9 गांवों की अधिग्रहित भूमि की बाजार दर के निर्धारण के मुद्दे की जांच की। उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचना दिनांक 18.09.1985 के तहत गांव महमूदपुर, तहसील सोट्टल में स्थित भूमि के संबंध में किए गए आकलन पर ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2019. 4 एस.सी.आर. प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 10% की दर से वृद्धि विचाराधीन अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि के लिए वर्ष 1988– में, चाही के लिए बरनी व गैर मुमकिन भूमि के लिए अनुमातिक कमी के साथ ग्राम मटूर, मटरन, सियामपुर और जंडपुर में स्थित भूमि के मुआवजे में रु. 2.50,000/– तक गांव भागो माजरा स्थित जमीन के संबंध में हाईकोर्ट ने भूमि की प्रकृति, उसकी गुणवत्ता, स्थान और चंडीगढ़ शहर से दूरी को ध्यान रखते हुए 20% की सीमा तक कटोती की गई और तदनुसार मुआवजे की दर निम्नानुसार बढ़ाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया (चाही) रु2,00,000/–

17. अपीलकर्ता (जमीदार) के विद्वान वकील ने प्रश्नगत स्थल के मानचित्र के आधार पर तर्क दिया कि ग्राम भागो माजरा में स्थित भूमि, जिसके संबंध में हम इन अपीलों में संबद्ध है, अन्य गाँवो या किसी भी स्थिति

में स्थित भूमि की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इसे अन्य भूमि के बराबर बनाया जाना चाहिए जहां उच्च दर निर्धारित की गई है। यह आग्रह किया गया था कि भागो माजरा में स्थित भूमि दूरी के हिसाब से भी मोहाली और चंडीगढ़ के करीब है और इसलिए, अपीलकर्ता हरि सिंह के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे से अधिक मुआवजे का दावा करने का हकदार है या कम से कम अपीलकर्ता उसी मुआवजे का दावा करने का हकदार है जो अन्य गांवों में स्थित भूमि के भूस्वामियों को दिया गया है।

18. हमें इस निवेदन में कोई बल नहीं दिखता है। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा, जैसे कि प्रत्येक गांव का स्थान, चंडीगढ़ शहर से दूरी और उसकी गुणवत्ता, जैसा कि एलएओ द्वारा किया गया था और फिर उचित कटौती / वृद्धि, जैसा भी मामला हो, जो उपरोक्त कारकों के आधार पर 10%, 20% और 25% से भिन्न हो सकती है।

19, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण, जिसकी हमने साइट मानचित्र के अवलोकन पर भी जांच की है, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह बिना किसी हस्तक्षेप के उचित और निष्पक्ष आह्वान है। रामेश्वर दास बनाम पंजाब राज्य अभय मनोहर सप्रे, जे...

20. अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि निचली अदालतों ने किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया, जिसका संबंधित मुद्दे से संबंध हो। इसी तरह, अपीलकर्ता यह भी नहीं दिखा सका कि उच्च न्यायालय ने 9 गांवों में स्थित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने में कोई बुनियादी त्रुटि की है।

21. दूसरी ओर, हम यह भी पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने भागो माजरा गांव सहित 9 गांवों में से प्रत्येक में स्थित भूमि के लिए उनके स्थान और सभी कोणों से संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित दरें तय की हैं।

22. अपीलकर्ता की तरह, अन्य सभी भूस्वामियों को जिनकी भूमि भागो माजरा गांव में स्थित है, उन्हें भी तीन श्रेणियों की भूमि की गुणवत्ता के आधार पर एक समान दर पर मुआवजा मिला है। यह निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट है जो अपीलकर्ता की भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी , संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई संबंधित दरों को दर्शाता है,
अपीलकर्ता की भूमि : एकड़ भूमि भूमि अधिग्रहण रेफरेंस न्यायालय द्वारा प्रदान ।

23. इसलिए, हम इसे मुआवजे की दर को और बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा। अपने प्रश्नगत आदेश में बढ़ाई गई दर से अधिक बढ़ाने का कोई अच्छा आधार नहीं ढूंढ पा रहे हैं।

24. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें इसमें कोई योग्यता नहीं मिलती निवेदन यह अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। 2014 के सी0ए0 एसएलपी (सी) संख्या 17144 में सी0ए0 एसएलपी (सी) संख्या 2014 का 8073, 2014 का सी0ए0 @ एसएलपी (सी) संख्या 29928 और 2014 का बसी0ए0 एसएलपी (सी) संख्या 8098

1. अनुमति स्वीकृत

2. जहां तक इन अपीलों का संबंध है. इन्हें भी उच्च न्यायालय द्वारा आरएफए नंबर 953/1994 हरि सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में पारित अपने पहले के आदेश दिनांक 01.07.2013 के आलोक में निपटाया गया था। 2019, 4 एस.सी. आर. और अन्य (सुप्रा) अंतर यह है कि इन अपीलों में अपीलकर्ताओं (जमींदारों) का उच्च न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था।
3. सी०ए० एसएलपी (सी) संख्या 5513/ 2014 में उपरोक्त पारित आदेश के मद्देनजर ये अपीले भी खारिज की जाती है। सी.ए./ एस.एल.पी.(सी) संख्या 6201 2014

1. अनुमति स्वीकृत,

2. जहां तक इस अपील का संबंध है, अपील दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.01.2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिससे सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा गया था। इसके बाद, हरि सिंह और अन्य (सुत्रा) में दिए गए निर्णय के आलोक में अपीलकर्ता ने मुआवजे को बढ़ाने की प्रार्थना के साथ 01.08.2013 को रिकॉल हेतु एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को 20.11.2013 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता ने न तो 13.01.2000 के आदेश के खिलाफ आगे के उपाय का लाभ उठाया और न ही उसके तुरंत बाद रिकॉल हेतु आवेदन दायर किया।

3. हरि सिंह एवं अन्य (सुप्रा) में पारित आदेश के मद्देनजर जिसकी यहां ऊपर पुष्टि की गई है और गांव भागो माजरा के सभी भूस्वामियों को कमोबेश एक समान दरों पर मुआवजा देने की अनुमति दी गई है, यह अपीलकर्ता भी उसी राहत का हकदार है इसलिए रिकॉल हेतु आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 20.11.2013 के आदेश और आरएफए में दिनांक 01.08.2013 के आदेश को भी रद्द किया जाता है। इस अपीलकर्ता को भी उसी राहत का हकदार माना जाता है जैसा कि हरि सिंह और अन्य (सुप्रा) के मामले में दिया गया था, लेकिन वह 13.01.2009 से 01.08 2013 की अवधि के लिए किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा। संबंधित अधिकारी विधि के अनुसार मुआवजा की राशि वितरित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएंगे।

इस प्रकार अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

दिव्या पांडे की अपीले निस्तारित ।

मौ० आरिफ,
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम,
सहारनपुर ।